सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 155 राँची, गुरुवार, 18 फाल्गुन, 1938 (श०)
9 मार्च, 2017 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

8 मार्च, 2017

विषय : स्कीम संख्या-21081 के अन्तर्गत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण हेतु हुडको से रूपये 341.00 करोड़ (तीन सौ एकतालीस करोड़ मात्र) का ऋण आहरण करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या :- अर्थोपाय (30)-21/2016/136/बजट-- भवन निर्माण विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण, योजना संख्या 21081 के अन्तर्गत किया जा रहा है । एतदर्थ हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमि० (हुडको) से रूपये 341.00 करोड़ (तीन सौ एकतालीस करोड़ मात्र) का ऋण मंत्रिपरिष्द से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में, प्राप्त कर निम्न शर्त्तो के साथ आहरण करने का निर्णय लिया जाता है :-

2. उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमि० (हुडको) के पत्र सं०-HUDCO/RNRO/21081/2016/270, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 के द्वारा रूपये 341.00 करोड़ (तीन सौ एकतालीस करोड़ मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया है । ऋण की सामान्य एवं विशेष शर्त्तें ANNEXURE-A में अंकित है ।

3. उक्त योजना का कुल Outlay रूपये 381.01 करोड़ (तीन सौ एकासी करोड़ एक लाख मात्र) का है, जिसके लिए हुडको से रूपये 341.00 करोड़ (तीन सौ एकतालीस करोड़ मात्र) का ऋण आहरण किया जायेगा तथा शेष रूपये 40.01 करोड़ (चालीस करोड़ एक लाख मात्र) राज्य के आंतरिक संसाधन से पूरा किया जायेगा ।

4. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासी विभाग के राज्यादेश संख्या 302 (भ०) दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा प्रदान की गई है । योजना का कार्य प्रारम्भ है । प्रशासी विभाग द्वारा व्ययित राशि का प्रगति प्रतिवेदन भी योजना-सह-वित्त विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हुडको से प्राप्त ऋण से की जानी है ।

5. हुडको से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग के माध्यम से वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर हुडको से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा । ऋण की मूल राशि एवं इस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान के विरूद्ध किया जायेगा ।

6. भवन निर्माण विभाग संचालित योजना का अपनी Website पर अद्यतन स्थिति संधारित करेगा । PMGSY के पैटर्न पर Online Monitoring किया जायेगा ।

7. चालू (On going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति भवन निर्माण विभाग विभागीय Website पर Upload करेंगे ।

8. भवन निर्माण विभाग गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेंगे तथा विशेष ध्यान देकर एवं इसे भी Website पर upload करेंगे ।

9. यह संकल्प विभागीय संलेख ज्ञापांक-84/बजट, दिनांक 13 फरवरी, 2017 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक 21 फरवरी, 2017 के मद संख्या-15 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 155--50